



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-९२९ / छ:-स्वा० / २०२६-२७

दिनांक- २२/०७/२०२६

नाम- श्री अर्जुन यादव
पुत्र- श्री दीरालाल यादव
मोहल्ला- सुखीपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- ८१३६०७३१५६

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-930 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री बल्लू गायक
पुत्र- श्री विन्देश्वरी गायक
मोहल्ला- उर्दू बाजार-चौराहा जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 905061849

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-931 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-22/07/2026

नाम- श्री रिकू गायक

पुत्र- —

मोहल्ला- निकट चंद्रा होटल जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8423786678

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-932 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री उमेश

पुत्र-

मोहल्ला- मिफ्ट चंद्रा होटल जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8009522112

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-933 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री धनराज भादव
पुत्र- श्री पन्नालाल भादव
मोहल्ला- नवलपरासी, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 434 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री होंटे लाल
पुत्र- श्री मोहन निषाद
मोहल्ला- गुल्शान नववास, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9808770064

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 22/07/2026

पत्रांक- 945 / छ:-स्वा0 / 2026-27

नाम- श्री बाल साहब
पुत्र- स्क सगई भाठव
मोहल्ला- गुरदाह नखवास, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9792606749

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 246/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 22-07-2026

नाम- श्री मंगल
पुत्र- श्री सहव
मोहल्ला- विश्वरूप, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9889335243

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 925 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 23/07/2026

नाम- श्री राजकुमार
पुत्र- श्री नाथ
मोहल्ला- विहीवरपुर चौराहा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9616188932

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 926/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री शीखर
पुत्र- श्री लज्जबहादुर
मोहल्ला- पंचहाटि गाँव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9919467356

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- १२७ / छ-स्वा० / २०२६-२७

दिनांक- १२/०७/२०२६

नाम- श्री गुग्गाव
पुत्र- श्री लालबहादुर
मोहल्ला- पंचदेव गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 22/07/2026

पत्रांक- 928 /छ:-स्वा0/2026-27

नाम- श्री लल्लु
पुत्र- श्री लालता प्रसाद
मोहल्ला- फतहटिया गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9304322883

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 937 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री प्रमोद कुमार
पुत्र- श्री राजेश कुमार
मोहल्ला- पंचदहिया गांव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9518753442

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-938 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री बटेसर
पुत्र- श्री निरमल
मोहल्ला- पंचदिया गांव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8418890834

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 939 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री श्रीदेवराज
पुत्र- श्री भूताराम मादव
मोहल्ला- पंचदलिया गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-१५० / छ:-स्वा० / 2026-27

दिनांक- १२/०७/२०२६

नाम- श्री सिमरती
पुत्र- श्री राम प्रसाद
मोहल्ला- पचहलिया गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9335241294

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 22/07/2026

पत्रांक- 940 / छ-स्वा0 / 2026-27

नाम- श्री छिन्नारी
पुत्र- श्री राम प्रसाद
मोहल्ला- पंचहरिया गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9335271292

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-१५१ /छ:-स्वा०/२०२६-२७

दिनांक- १२/०७/२०२६

नाम- श्री सुशान्त
पुत्र- श्री राम अतल
मोहल्ला- पंचदहिया गांव जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रमारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

दिनांक- 22/07/2026

पत्रांक- 942 / छ-स्वा0 / 2026-27

नाम- श्री धर्मराज
पुत्र- श्री विक्रम
मोहल्ला- अलीखामपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-943 / उ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक-22/07/2026

नाम- श्री गिरधरा
पुत्र- श्री प्रियंका
मोहल्ला- श्री खानपुर, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 944/छ-स्वा0/2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री संतोष
पुत्र- श्री फेनई
मोहल्ला- एन्टीमो गाव जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9616391214

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 957/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री रामजन्म

पुत्र- स्व. लज्जणा

मोहल्ला- कलौरगढ़ना जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 9565240314

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-7-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 959 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री श्रीवर्मा
पुत्र- स्व. जय शिवानु
मोहल्ला- लक्ष्मीगढ़, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8953171251

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो न्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-960 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री रहोइमाम
पुत्र- स्व. सुमेश
मोहल्ला- कलेसगाहना, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- —

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 962 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री धर्मराज
पुत्र- श्री रामचन्द्र
मोहल्ला- कल्लोरागढ़ना, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9607629981

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

/

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक- 958 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री संजय
पुत्र- स्व. पारमेश्वर
मोहल्ला- कलौरगाहना, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9889379319

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-04-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 963 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री प्रेमलाल

पुत्र-

मोहल्ला- बकौरगढ़, जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 964 / छ-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री साखु माल

पुत्र-

मोहल्ला- ककरगहना, जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07.26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक-965/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक-22/07/2026

नाम- मुस्तकीम
पुत्र- अमीज
मोहल्ला- खेय मोहामेद, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक- 969 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- समीर
पुत्र- पुष्प
मोहल्ला- अलीगढ़ रोड, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक-९६८ / उ-स्वा० / २०२६-२७

दिनांक- १२/०७/२०२६

नाम- रुस्तम
पुत्र- अबुल रहमान
मोहल्ला- रेख मोहाम्मद, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक- 966 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम-
पुत्र-
मोहल्ला-
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-467 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- कृष्ण
पुत्र- एपी एकर
मोहल्ला- प्रमद, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26... के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 953 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री दिनेश कुमार यादव

पुत्र- श. रामपत यादव

मोहल्ला- बागेलपुर दाहिनी, जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15.07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 954 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री राजा पादव
पुत्र- स्व. मेनोद पादव
मोहल्ला- बाघेयपुर दक्षिणी, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 955 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री गोहन्द पाण्डे
पुत्र- श्री विश्वजीत पाण्डे
मोहल्ला- कर्मोचाराट, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9565073156

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 956 / छः-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री अनिल यादव
पुत्र- श्री मेरी यादव
मोहल्ला- कलीचण्डी, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8393448184

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर। नोटिस

पत्रांक- 961 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री रामशंकर पाठक
पुत्र- श्री राम मोहन पाठक
मोहल्ला- कभीचाख, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9506492292

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 951 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री शेषा यादव
पुत्र- श्री लालाजी यादव
मोहल्ला- कर्मचारीवाड़ा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9506492992

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 952/छ:-स्वा0./2026-27

दिनांक- 22/07/2026

नाम- श्री मोहित राम यादव
पुत्र- श्री गुरुप्रीत यादव
मोहल्ला- कृष्णाबाद, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9506492292

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक- 15-07-26 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।